निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 63 / 2022
दायरा दिनांकः–18.11.2022
निर्णय दिनांकः– 27.8.24

उनवान

1 मोहनलाल आयु 42 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. घांसीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र अमरनाथ जाति नाथ
2. शम्भूदयाल नाथ आयु 50 वर्ष पुत्र रतनदास जाति नाथ
3. प्रेमनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र रामकरण जाति नाथ
4. शिवकरण आयु 42 वर्ष पुत्र रामप्रताप जाति नाथ
5. बिशनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र धुलीलाल जाति धाकड
6. रामेश्वर आयु 40 वर्ष पुत्र जगदीश जाति धाकड
7. देवकरण आयु 45 वर्ष पुत्र दुर्गालाल जाति धाकड
8. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
9. बाबूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मंगला जाति माली
10. सोभाराम आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति माली
11. हजारीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति धाकड
12. बलराम आयु 55 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां राज0
13. अनूप कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र रामप्रताप धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर हाल ग्रीन पार्क कॉलोनी छबडा जिला बारां राज0
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 27.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जगदीश नागर – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम खोपर तहसील में भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा बीघा 07 बिस्वा प्रार्थी एवं [illegible] नम्बर 12 बलराम के शापाती खातेदारी एवं कब्जे करत में अंकित चली आ रही [illegible] पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमियात आबादी एवं रोड़ से [illegible] स्थित होने [illegible] भूमि में फसल काश्त नहीं करके पड़त के रूप में पड़ी हुई है। प्रार्थना पत्र की मद [illegible] 2 में वर्णित भूमिया[illegible] में काबिल काश्त नहीं होकर पडत होने से अप्रार्थी नम्ब[illegible] ता 11 द्वारा रोड की [illegible] पर रेवडिया एवं पत्थर डालना शुरू कर दिया तथा धीरे–धीरे रेवडियों एवं पत्थरों का आकर बडाते हुए प्रार्थी की भूमि पर जबरन बल पूर्वक अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 193 के पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

/2 रकबा बीघा 12 बिस्वा स्थित है. जिसमें से 1 बीघा भूमि को जये विक्रय पत्र प्रार्थी नम्बर 13 द्वारा खरीद लिया गया है। अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 194/2 में से 1 बीघा भूमि खरीदने के पश्चात् उक्त भूमि के पूर्व दिशा में लगवा प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 193 स्थित है. कि भूमि को अपनी भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा 1 बीघा में मिलाते हुए अप्रार्थी नम्बर 1 ता 11 द्वारा पत्थर एवं रेवडिया डालकर जो अतिक्रमण कर रखा है उससे लगवा प्रार्थी के हिस्से की समस्त भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र का कारण दिनाक 14/11/2022 को पैदा हुआ जब अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा विवादित भूमि में जाकर निर्माण करवाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 193 में गड्ढे खोदना प्रासन कर दिया. तब प्रार्थी द्वारा मना किया तो अप्रार्थी नम्बर 13 लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा उक्त भूमि में बने गणेश जी के चबूतरे को गिराकर ध्वस्त करने का तथा जबरन बलपूर्वक कब्जा करने का असफल प्रयास किया। उसी समय अप्रार्थी नम्बर 1 ता 11 भी भौके पर आ गये। जिनसे भी प्रार्थी ने रेवडिया व पत्थर हटाने को कहां तो सभी ने पत्थर व रेवडिया हटाने से मना कर दिया व जबरन लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो गये ।यही दिनांक बिनाय दावा कायम की जाती है। यह कि भूमि खसरा उत्बर 193 रकया 2 बीघा 07 बिस्वा.भूमि सालपुरा मेन रोड से लगवा पश्चिम दिशा में लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है.तथा भूमि खसरा नम्बर 193 के पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा 1 बीघा की आड़ में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 193 पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाकर मेन रोड़ की भूमि पर निर्माण करना चाहता है, एवं उक्त भूमि में बने गणेश जी के चबूतरे को भी नष्ट करना चाहता है, जिसको अप्रार्थी नम्बर 13 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जयें स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा बीघा 02 बिस्वा रेवेन्यू रिकॉर्ड की भूमि है. अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा रेवेन्यू भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं करवाया जाने के कारण अप्रार्थी नम्बर 13 को पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, तथा अप्रार्थी नम्बर 13 भूमि परिवर्तित नहीं करवाने से सरकार को भी काफी नुकसान होगा। अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमियात में बिना बटवारा हुए बिना किसी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 194/क्री आड़ में जबरन बलपूर्वक अतिक्रमण कर उस पर रेवेन्यू भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाये बिना पक्का निर्माण करता चाहता है. जिसका अप्रार्थी तम्बर 13 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने का पूरा-पूरा भय पैदा हो गया है। अतः अप्रार्थी नम्बर 13 को जयें निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी नम्बर 13 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन बलपूर्वक प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी. जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 11 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अवैधानिक तरीके से रोड़ के सहारे की भूमि [illegible]वा प्रार्थी के खाते की भूमि पर रेवडिया व पत्थर डालकर उसकी [illegible] प्रार्थी की भूमि में धीरे-धीरे अतिक्रण कर लिया है, जो एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 11 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अतिकमी घौषित कर उनको बेदखल करवाकर प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही है उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 126 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खोपर नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 69 नकल नक्शा ट्रेस फोटो प्रति आदेश तहसीलदार फोटो प्रति पैमाईश रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 02.07.2022 नकल मौका पर्चा दिनांक 15.05.2022 फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.07.2021 नकल नामान्तरण 713 ग्राम खोपर नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2051–54 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 12 बलराम के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित आराजी आबादी एवं रोड से लगवा स्थित होने से उक्त भूमि मे फसल काश्त नही करके पडत के रूप में पडी हुई है। उक्त भूमि वर्तमान में काबिल काश्त नही होकर पडत होने से अप्रार्थी क्रम 1 ता 11 द्वारा रोड की भूमि पर रेवडिया एवं पत्थर डालना शुरू कर दिया तथा भूमि पर जबरन बलपूर्वक अतिक्रमण कर लिया है भूमि खसरा नम्बर 193 के पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा 1.12 बीघा स्थित है जिसमें से 1 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी क्रम 13 द्वारा खरीद लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि के साथ साथ प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर 1 बीघा भूमि खरीद वाली में मिला कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है तथा प्रार्थी की भूमि पर निर्माण करना चाहता है तथा भूमि में बने गणेश जी के चबुतरे को नष्ट करना चाहता है अप्राथी क्रम 13 को रेवेन्यू भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित नही करववाये जाने के कारण पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार नही है प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 126 में वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 12 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 69 में अप्रार्थी क्रम 13 के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवदित आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 2.07 बीघा अप्रार्थी क्रम 12 के हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है चुकि विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 12 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी का विभाजन नही हुआ है शामलाती खातेदारी की है। अप्रार्थी क्रम 13 के खातेदारी में खसरा नम्बर 194/2 का 1.00 बीघा खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी क्रम 13 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 12 की भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 2.07 बीघा में 1/2, 1/2 दर्ज रिकार्ड है। मौका पर्चा दिनांक 15.05.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 193 व 196 की पैमाईश करवाई गई जिसमें प्रार्थी पैमाईश रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हुआ भूमि शामलाती खातेदारी की है प्रार्थी की भूमि कहा व किधर की है बिना बटवारा कराये यह नही कहां जा सकता कि अप्रार्थी क्रम 13 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 193 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी क्रम 13 अनूप कुमार की भूमि ख.नं. 194/2 है। दोनो की भूमियों की सीमा मिली हुई है। दोनों के बीच विवाद है, वह सीमाज्ञान का है। सीमाज्ञान कराये जाने से दोनों पक्षकारान का हल निकल सकता है। ऐसी स्थिति में खसरा नं. 193 एवं खसरा नं. 194/2 की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार छबडा से कराया जाना उचित है एवं अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तह. छबडा के खसरा नं. 193 एवं खसरा नं. 194/2 की भूमि का सीमाज्ञान कर जाकर चिन्हीकरण करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested